Phones: (0522) 2668004-08,700,800,900
Fax: (0522) 2668017,2668973,2668734
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,लखनऊ
Rae-Bareli Road, Lucknow-226014 (INDIA)

Ref.No. PGI/Estt/ 66 /2018 **Date: 19.01.2018**
File R.S.D. No.: 1914/16

OFFICE ORDER

A committee was constituted by the Director with the approval of President, SGPGI/Chief Secretary, Govt. of U.P., vide office order No.9839/PGI/DIR/ DC/2016 /File RSD No.1914/16 dated 09-03-2016to examine the financial & promotional anomalies in Ministerial, Secretarial & Accounts Cadre due to implementation of decision of the Governing Body dated 08.01.1988 and subsequent order issued by the Hon'ble High Court, Governing Body and other higher authorities of the Institute.

The report of the Committee is being uploaded in the website of the Institute for seeking views, if any, of the employees of the Institute within 10 days from uploading of website in the R.S.D. Cell.

For hearing of these views of the employees, a Committee is hereby constituted as under:-

1.	Additional Director	-	Chairman
2.	Chief Medical Superintendent	-	Member
3.	Finance Officer	-	Member
4.	Joint Director (Admn.)	-	Member
5.	One member from outside to be nominated by Director.	-	Member

(Prof. Rakesh Kapoor)
Director

Copy to:
1. All concerned Officers, PGI.
2. Additional Director, PGI.
3. Prof. C.M. Pandey, HOD, BHI, PGI with the request to kindly upload this circular along with the report of Committee dated 27.12.2016. Kindly note that Committee report be removed from the website after 10 days.
4. R.S.D. Cell.

(Prof. Rakesh Kapoor)
Director

कार्यालय आदेश संख्या:9839/PGI/DIR/DC/2016 File RSD No.1914/16 दिनांक 09 मार्च, 2016 द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के कियान्वयन/निरस्तीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 27–12–2016 का कार्यवृत्त ।

शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के कियान्वयन को अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 के कार्यालय आदेश दिनांक 15–01–2010, शासी निकाय निर्णय दिनांक 06–03–2010 एवं निदेशक के कार्यालय आदेश दिनांक 11–10–2010 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तत्समय नियमों/परिस्थितियों एवं शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 से लाभान्वित कर्मियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को नजरअन्दाज करते हुए इसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है जिससे लेखा संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग एवं सचिवीय संवर्ग के लगभग 80 कर्मचारियों को न केवल उक्त लाभ से वंचित किया गया है बल्कि भविष्य में उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ जैसे ए0सी0पी0एस0/एम0ए0सी0पी0एस0 तथा पदोन्नतियों पर पूर्ण रूप से विराम लग गया है।

अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 को प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय लेने हेतु शासी निकाय की बैठक दिनांक 01–03–2008 द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 15–10–2009 के क्रम में अधिकृत किया गया था। शासी निकाय निर्णय दिनांक 01.03.2008 द्वारा अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 को समिति की संस्तुतियॉ दिनांक 16–01–2008 को लागू किये जाने पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत करते समय निम्न आदेश पारित किये थेः–

"The Governing Body after deliberation on the recommendations of the committee meeting (dt. 16-01-2008), authorised the President of the Institute to take a final decision on the implementation of the recommendation of the committee (16-01-2008) in consultation with the Finance Deptt., Govt. of U.P."

अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को निरस्त करते समय निम्न तथ्यों/पहलुओं पर विचार नही किया गयाः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 16–01–2008 में प्रश्नगत प्रकरण का समाधान किये जाने हेतु निम्न संस्तुति की गयीः–

(अ) लेखा संवर्ग में कोई विसंगति नहीं है इसे यथावत माना जाय।

(ब) सचिवीय संवर्ग में कोई विसंगति नहीं है इसे यथावत लागू माना जाय।

(स) लिपिकीय संवर्ग में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को लागू किये जाने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मियों का वेतन कनिष्ठ कर्मियों से कम हो गया है, जिसे वेतन संरक्षण कर विवाद को समाप्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15–01–2010, शासी निकाय दिनांक 06–03–2010 एवं निदेशक द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 11–10–2010 में उक्त संस्तुतियों को कदाचित संज्ञान में नहीं लिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को निरस्त करते समय शासी निकाय निर्णय दिनांक 01–03–2008 के अनुरूप शासन के वित्त विभाग का परामर्श भी प्राप्त नहीं किया गया।

2– अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 15–01–10 के प्रस्तर–4(1) में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को इस आधार पर निरस्त किये जाने की संस्तुति की कि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 पर शासन का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2002 द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को पूर्ण रूप से लागू किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये थे। शासन द्वारा निर्गत उक्त आदेश आज तक वैध है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि शासी निर्णय दिनांक 03–01–97 जिससे संस्थान की प्रथम संवर्ग संरचना अनुमोदित है एवं शासी निकाय निर्णय दिनांक 27–11–2001, जिससे संस्थान की द्वितीय संवर्ग संरचना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासी निकाय निर्णयों के आधार पर संस्थान के समस्त गैर शैक्षणिक कर्मियों को लगातार पदोन्नतियॉ प्रदान की जा रही हैं, इसका भी अनुमोदन शासन से प्राप्त नहीं किया गया है जैसा कि शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 20–10–2010 से स्पष्ट है कि इन निर्णयों पर पदोन्नति नीति लागू किये जाने के 13 वर्ष के उपरान्त अनुमोदन का कोई औचित्य एवं अवसर नहीं रह जाता है। अतः शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 पर 22 वर्ष पश्चात शासन के अनुमोदन का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त संस्थान अधिनियम 1983 की धारा–19 के अनुसार संस्थान कर्मियों के पद सृजन/समाप्त करने का अधिकार शासी निकाय को प्राप्त था जो अधिनियम संशोधन दिनांक 16–02–2010 के पश्चात निम्नवत संशोधित किया गया है "शासी निकाय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान कर्मियों के पद सृजित/समाप्त कर सकती है।

अतः तत्समय शासन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी यद्यपि शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपने आदेश दिनांक 13–02–2002 द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को पूर्ण रूप से लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये हैं साथ ही शासन ने उक्त निर्णय लागू किये जाने के फलस्वरूप देय एरियर हेतु रू0 41.45 लाख का अनुदान निर्गत किया है जो संस्थान खाते में जमा है। अतः शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को पूर्णरूपेण निरस्त किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

3– अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 15–01–2010 के प्रस्तर–7 में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88को इस आधार पर भी औचित्यपूर्ण नहीं माना है कि जब लेखा संवर्ग में दिनांक 02–07–94 द्वारा लेखा लिपिकों को पुनर्पदनामित किया गया तत्समय शासनादेश दिनांक 01–08–90 एवं शासनादेश दिनांक 05–03–91 द्वारा एम्स के समतुल्य वेतनमान एवं भत्ते अनुमन्य कराये जा चुके थे तो शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 (विभागाध्यक्ष के समतुल्य वेतनमान) लागू किया जाना नियमानुकूल नहीं था। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 01–08–90 एवं 05–03–91 द्वारा चतुर्थ वेतन आयोग के अनुपालन में संस्थान कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते प्रदान किये जाने हेतु गठित रन्धर कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर वेतन पुनरीक्षण किया गया न कि एम्स के समतुल्य पदनाम/वेतनमान प्रदान किये गये। चूॅकि वर्ष 1990–91 तक संस्थान द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को लागू नहीं किया गया था। अतः तत्समय उपलब्ध पद एवं वेतनमान का ही पुनरीक्षण उक्त शासनादेश द्वारा किया गया यदि तत्समय शासी निकाय निर्णय

दिनांक 08–01–88 लागू हो गया होता तो लेखा, सचिवीय एवं लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ उसके अनुरूप ही दिया जाता। यही कारण है कि वर्ष 1994 तक (शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 लागू होने तक) पूर्व में प्रचलित पद यथा लेखा लिपिक एवं टंकक के पद सृजित किये जाते रहे। एम्स की समतुल्यता संस्थान कर्मियों को दिनांक 03–01–97 से प्रदान की गयी। अतः 03–01–97 से पूर्व शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को लागू किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

4– निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के कार्यालय आदेश दिनांक 11–10–2010 द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन को निरस्त करते समय यह उल्लेख किया गया है कि उक्त क्रियान्वयन के निरस्तीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन उ0प्र0 शासन से प्राप्त कर लिया जायेगा परन्तु शासन के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संस्थान द्वारा आज तक प्रेषित नहीं किया गया है। अतः बिना शासन के अनुमोदन के शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन को निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है।

शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 जो लगभग 22 वर्षों से लागू था, को अध्यक्ष, एस0जी0पी0जी0आई0 के कार्यालय आदेश दिनांक 15–01–10 एवं निदेशक के आदेश दिनांक 11.10.2010 द्वारा निरस्त किये जाने से इन संवर्गों में निम्नवत् प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैः–

लेखा संवर्ग

1– शासनादेश दिनांक 05–03–91 के अनुसार दिनांक 01–01–86 से लेखा संवर्ग में विद्यमान पद एवं वेतनमान की स्थिति निम्नवत् थीः–

स्वीकृत पद	**वेतनमान**	**पुनरीक्षित वेतनमान**
लेखा लिपिक	400–615	1200–2040
कैशियर	400–615	1200–2040

2– शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 द्वारा लेखा लिपिक/कैशियर को निम्नवत् पुनर्पदनामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृत पद एवं वेतनमान	**पुनर्पदनामित पद एवं वेतनमान**	**पुनपर्दनामन हेतु निर्धारित अर्हता**
लेखा लिपिक/कैशियर वेतनमान रू0 400–615 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200–2040	सहायक लेखाकार वेतनमान रू0 515–860 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1400–2300	एकान्टेन्सी के साथ बी0काम अथवा इन्टरमीडिएट के साथ 5 वर्ष का अनुभव

3– शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 द्वारा संस्थान की प्रथम संवर्ग संरचना अनुमोदित की गयी जिसमें तत्समय पुनर्पदनामित लेखा लिपिक/कैशियर को छोड़कर शेष 8 पद लेखा लिपिक 04 पद में कैशियर, एवं 02 पद आडीटर वेतनमान 400–615 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200–2040 को शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के आधार पर पुनर्पदनामित करते हुए 22 पद सहायक लेखाकार वेतनमान 515–860 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1400–2300 स्वीकृत किये गये एवं लेखा लिपिक/कैशियर एवं आडीटर के पद समाप्त कर दिये गये। वर्तमान में लेखा लिपिक/कैशियर का कोई पद विद्यमान नहीं है।

श्री प्रशान्त त्रिवेदी, तत्कालीन सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 07–11–2005 में यह उल्लेख है कि संस्थान में केवल शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 एवं 27–11–2001 ही मान्य है। परन्तु शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को

शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 द्वारा भी सही माना गया है क्योंकि उक्त निर्णय द्वारा शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के आधार पर अवशेष 8 पद लेखा लिपिक तथा 4 पद कैशियर के समाप्त कर सहायक लेखाकार के पद पर पुनर्पदनामित किया गया है। लेखा लिपिक/रोकड़िया के पुनर्पदनामित पद सहायक लेखाकार को वर्ष 1997 में सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है।

अतः यदि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को लेखा संवर्ग में निरस्त किया जाता है तो लेखा लिपिक/कैशियर के पुनर्पदनामित पद सहायक लेखाकार जो सीधी भर्ती से भरे गये हैं उन्हें भी लेखा लिपिक/कैशियर के पद पर पदावनत किया जाना होगा जोकि सम्भव नहीं होगा।

4– शासी निकाय निर्णय दिनांक 04–05–98 द्वारा एक अन्य संवर्ग सहायक लेखाकार–सह–संगणक चालक जिनके पद विभागाध्यक्षों हेतु सृजित किये गये थे, को दिनांक 03–01–97 से सहायक लेखाकार पद पर संविलीन किया गया। संविलियन के पश्चात संस्थान द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची दिनांक 21–12–98 कुलाध्यक्ष एवं उ0प्र0 शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुमोदन के पश्चात संस्थान में लागू है एवं इस सूची के विरूद्ध सहायक लेखाकार–सह–संगणक चालकों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 639/99 में संशोधन प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः संस्थान द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची दिनांक 21–12–98 ही अन्तिम वरिष्ठता सूची है जो समय–समय पर संस्थान द्वारा अद्यतन की गयी है। ऐसी स्थिति में संस्थान द्वारा निर्णीत अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21–12–98 के विरूद्ध सहायक लेखाकार–सह–संगणक चालकों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 639/99, 6545/2007 एवं 3948/2014 विधिसम्मत नहीं है।

5– शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 एवं 27–11–2001 द्वारा अनुमोदित पदोन्नति नीति के तहत लेखा लिपिक/कैशियर वेतनमान 400–615 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200–2040 को पुनर्पदनामित पद सहायक लेखाकार वेतनमान 515–860 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1400–2300 से कनिष्ठ लेखाधिकारी वेतनमान 1640–2900 पुनरीक्षित वेतनमान 5500–9000 एवं सहायक लेखाधिकारी वेतनमान 2000–3200 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–10500 में वर्ष 1997 एवं 2002 में पदोन्नत किया जा चुका है।

यदि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 निरस्त किया जाता है तो यह पदोन्नतियाँ भी निरस्त करनी पड़ेंगी तथा सहायक लेखाधिकारी के निरस्तीकरण के फलस्वरूप लेखा लिपिक के पद पर पदावनत हो जायेंगे जबकि लेखा लिपिक का कोई पद विद्यमान नहीं है एवं यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा।

सचिवीय संवर्ग

1– शासनादेश दिनांक 05–03–91 के अनुसार 01–01–86 (चतुर्थ वेतनमान) से सचिवीय संवर्ग में स्थिति निम्नवत् थीः–

स्वीकृत पद	**वेतनमान**	**पुनरीक्षित वेतनमान**
स्टेनोग्राफर	515–860	1200–2040(वर्तमान पदधारकों को रू0 1400–2600)
निजी सचिव	690–1420	2000–3200

2— शासनादेश दिनांक 09—07—91 द्वारा निम्नवत् पदों का वर्गीकरण किया गया:—

स्वीकृत पद	वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
स्टेनोग्राफर	515—860	1200—2040
वैयक्तिक सहायक		1400—2600
निजी सचिव		2000—3500
प्रमुख निजी सचिव	690—1420	3000—4500

उक्त शासनादेश के अनुसार तत्समय कार्यरत स्टेनोग्राफर वेतनमान 515—860 को वैयक्तिक सहायक वेतनमान 1400—2300 का वेतनमान एवं निजी सचिव को वेतनमान रू0 2000—3500 तथा प्रमुख निजी सचिव को वेतनमान रू0 3000—4500 प्रदान किया गया।

वर्ष 1991 में सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापित स्टेनोग्राफर वेतनमान 515—860 में 12 पद भरे गये जिन्हें रू0 515—860 के पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1400—2600 के स्थान पर वेतनमान रू0 1200—2040 प्रदान किया गया जबकि उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1400—2300 में नियुक्ति पत्र प्रदान किये जाने चाहिए थे।

3— शासी निकाय निर्णय दिनांक 03—01—97 के तहत तत्समय कार्यरत 12 स्टेनोग्राफर, वेतनमान रू0 1200—2040 को वैयक्तिक सहायक, वेतनमान रू0 1640—2900 में पदोन्नति प्रदान की गयी।

4— शासी निकाय निर्णय दिनांक 08—01—88 (जो वर्ष 2003 में लागू किया गया) के अनुपालन में स्टेनोग्राफर का वेतनमान रू0 515—860 के स्थान पर 570—1100 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार तत्समय कार्यरत स्टेनोग्राफर वेतनमान 515—860 पुनरीक्षित वेतनमान रू01400—2600 को वेतनमान रू0 570—1100, पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1640—2900 उनके कार्यभार ग्रहण तिथि 23—10—91 से शासी निकाय निर्णय दिनांक 03—01—97 से पूर्व की तिथि दिनांक 02—01—97 तक प्रदान किया गया।

सचिवीय संवर्ग में किसी प्रकार का वरिष्ठता आदि का विवाद नहीं है। अतः यह प्रस्तावित है कि तत्समय कार्यरत स्टेनोग्राफर को शासी निकाय निर्णय दिनांक 08—01—88 का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रू0 1640—2900 का वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाये जो उनके कार्यभार ग्रहण तिथि 23—10—91 से 02—01—97 तक प्रभावी होगा। दिनांक 03—01—97 से उन्हें वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रू0 1640—2900 का वेतनमान पहले से ही दिया जा चुका है। अतः सचिवीय संवर्ग में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08—01—88 के कियान्वयन में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिपिकीय संवर्ग

1— शासनादेश दिनांक 05—03—91 के अनुसार लिपिकीय संवर्ग में विद्यमान पद एवं वेतनमान की स्थिति निम्नवत् थी:—

स्वीकृत पद	वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
टंकक	354—550	950—1500
अवर वर्ग सहायक	400—615	1200—2040
प्रवर वर्ग सहायक	470—735	1400—2300
कार्यालय अधीक्षक	570—1100	1640—2900

2– शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 द्वारा उक्त पदों का पुनर्पदनाम निम्नवत् किया गया:–

स्वीकृत पद / वेतनमान	पुनर्पदनामित पद / वेतनमान	पुनपर्दनामन हेतु निर्धारित अर्हता
1. टंकक वेतनमान रू0 354–550 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 950–1500	कार्यालय सहायक ग्रेड–।।। वेतनमान रू0 430–685 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200–2040	सीधी भर्ती द्वारा ग्रेजुएट (बी.ए., बी.काम., बी.एस.सी.) एवं निर्धारित टाइपिंग स्पीड के साथ
2. अवर वर्ग सहायक वेतनमान रू0 400–615 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200–2040	–तदैव–	
3. प्रवर वर्ग सहायक वेतनमान रू0 470–735 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200–2040	कार्यालय सहायक ग्रेड–।। वेतनमान रू0 570–1100 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1400–2300	पदोन्नति द्वारा, 03 वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात
4. कार्यालय अधीक्षक वेतनमान रू0 670–1100, 625–1360, 570–1100 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1640–2900	कार्यालय सहायक ग्रेड–। वेतनमान रू0 625–1360 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1640–2900	पदोन्नति द्वारा, 10 वर्ष की सेवा जिसमें से कम से कम 05 वर्ष प्रवर वर्ग सहायक रूप में।

3– शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 द्वारा संस्थान की प्रथम संवर्ग संरचना की गयी जिसमें से सीधी भर्ती अवर वर्ग सहायक वेतनमान 1200–2040 अनुमोदित किया गया एवं टंकक वेतनमान रू0 950–1500 के पद समाप्त कर दिये गये। 03–01–97 से अब तक टंकक पद पर सीधी भर्ती से नहीं भरे गये हैं। सीधी भर्ती अवर वर्ग सहायक वेतनमान रू0 1200–2040 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4000–6000 में की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति नीति दिनांक 03–01–97 अनुमोदित की गयी।

4– लिपिकीय संवर्ग में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 का कियान्वयन शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2002 के अनुपालन में वर्ष 2002–03 में किया गया।

पुनर्पदनामन करते समय कार्यालय आदेश दिनांक 20–03–2002 में यह उल्लेख किया गया कि उक्त पदधारक दिनांक 03–01–97 से पुनः अपना पदनाम शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 द्वारा अनुमोदित पदोन्नति नीति के अनुसार प्राप्त कर लेंगे एवं उनकी वरिष्ठता यथावत रहेगी। तद्नुसार लिपिकीय संवर्ग में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 का कियान्वयन कार्यालय आदेश दिनांक 20–03–2002 द्वारा दिनांक 02–01–97 तक ही किया गया तत्पश्चात दिनांक 03–01–97 से लिपिकीय संवर्ग के लाभार्थियों को शासी निकाय निर्णय दिनांक 03–01–97 द्वारा स्वीकृत पदनाम व वेतनमान प्रदान किये गये हैं।

5– पुनर्पदनाम के फलस्वरूप विसंगति यह उत्पन्न हुई थी कि वरिष्ठ कर्मियों का वेतन कनिष्ठ कर्मियों से कम हो गया जिसके लिए तत्कालीन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में गठित बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 16–01–2008 में

वेतन संरक्षण कर विसंगति समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि लिपिकीय संवर्ग के लाभार्थी/अलाभार्थी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से आपसी समझौते के आधार पर वेतन संरक्षण का अनुरोध किया गया है।

संस्तुतिः

उपर्युक्त बिन्दुओं के प्रकाश में समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के कियान्वयन को निरस्त करते समय उच्चाधिकारियों द्वारा वर्तमान में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को कदाचित संज्ञान में नहीं लिया गया एवं बिन्दु संख्या– 1 से 3 पर प्रस्तुत तथ्यों को भी संज्ञानित नहीं किया गया जिसके आधार पर शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के कियान्वयन को निरस्त किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई. के कार्यालय आदेश दिनांक 11–10–2010 में उल्लिखित शासन को कार्योत्तर स्वीकृति के अभाव में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः समिति यह संस्तुति करती है कि शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन सम्बन्धी लेखा संवर्ग के आदेश दिनांक 02–07–94, लिपिकीय संवर्ग के आदेश दिनांक 20–03–2002 एवं सचिवीय/लिपिकीय संवर्ग के आदेश दिनांक 02–04–2003 को पुनर्जीवित माना जाय।

<u>सुझावः</u>

1. **लेखा संवर्ग में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन सम्बन्धी आदेश दिनांक 02–07–1994 को पुनर्जीवित माना जाय तथा संस्थान द्वारा जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21–12–98 को अन्तिम वरिष्ठता सूची माने जाने की संस्तुति की जाती है।**
2. **सचिवीय संवर्ग के शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन सम्बन्धी आदेश दिनांक 02–04–2003 को पुनर्जीवित माना जाय एवं उक्त निर्णय से लाभान्वित पदधारकों को वैयक्तिक वेतनमान रू0 1640–2900 स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।**
3. **लिपिकीय संवर्ग में शासी निकाय निर्णय दिनांक 08–01–88 के क्रियान्वयन सम्बन्धी आदेश दिनांक 20–03–2002/02–04–2003 को पुनर्जीवित माना जाय तथा संस्थान द्वारा जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03–11–97 एवं 30–09–2002 को अन्तिम वरिष्ठता सूची मानते हुए लिपिकीय संवर्ग में वरिष्ठ कर्मियों का वेतन संरक्षित करते हुए वेतन निर्धारण किये जाने की संस्तुति की जाती है।**
4. **चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या:3259/71–3–2001/पी–33/99 दिनांक 13–02–2002 को यथावत लागू किये जाने की संस्तुति की जाती है।**

(अरिन्दम भट्टाचार्या)
अपर निदेशक/
सदस्य

(एस0डी0 मौर्य)
वित्त अधिकारी/
सदस्य

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव, वित्त
उ0प्र0 शासन/विशेष आमंत्री

(प्रो0 यू0के0 मिश्रा)
विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी
अध्यक्ष

का. आदेश -15.1.10 **टिप्पणी / आदेश**

1. संस्थान की स्थापना – 1983 का अधिनियम
2. रा/सं के विभागाध्यक्ष कार्यालय के समान लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को वेतनमान देने की सैद्धान्तिक सहमति बनी – 16.9.87 वित्त समिति
3. वित्त समिति की बैठक दिनांक 3.10.87 में लिपिकीय, लेखा, आशुलिपिक संवर्ग के पदनाम पुनर्पदनामित किये गये जिसका अनुमोदन शासी निकाय की बैठक दिनांक 08.1.1988 में हुआ।
4. 1988 – 1993 तक निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
5. शासनादेश दिनांक 8.6.87 द्वारा शिक्षकों को वेतनमान एम्स के समतुल्य किये गये।
6. " " 01.8.90 द्वारा " एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को एम्स के समतुल्य
" 5.3.91 द्वारा शिक्षणेतर कर्मचारियों को एम्स के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत
7. शासी निकाय की बैठक दिनांक 3.10.97 में – निर्णय दिनांक 8.1.88 के पूर्ण अनुपालन की संस्तुति की (शासी निकाय के निर्णय 3.1.97 में नये सिरे से कैडर रिव्यू हुआ)
8. 1.1.98 द्वारा लिपिकीय/आशुलिपिक संवर्ग के आदेश निर्गत किये गये।
9. O.M. 6.3.98 द्वारा का. आदेश दिनांक 01.1.98 निरस्त।
10. 6.2.02 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में बैठक
11. G.O. 13.2.02 द्वारा O.M. दिनांक 6.3.98 निरस्त / O.M. दिनांक 1.1.98 लागू।
12. O.M. 2.4.03 द्वारा – लिपिकीय कर्मचारियों की प्रोन्नति की व्यवस्था
13. G.O. 5.4.05 द्वारा सचिव, चिकित्सा – शिक्षा की अध्यक्षता में ~~बैठक~~ समिति (बैठक 7.11.05) में समिति ने शासी निकाय के निर्णय दिनांक 03.1.97 को अनुमोदित किया तथा निर्णय दिनांक 08.1.88 के आधार पर प्रदत्त सुविधाओं/लाभ को वापस लेने की संस्तुति की।
14. शासी निकाय की बैठक दिनांक 1.3.2008 में संस्तुति की गई कि निर्णय दिनांक 8.1.88 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जिन वरिष्ठ कर्मियों का वेतन कनिष्ठ कर्मियों से कम हो गया उनका वेतन 02.04.03 से नियमानुसार संरक्षित कर दिया जाय। अन्य कई संस्तुतियां भी की गई।
15. 2.7.1994 को लेखा संवर्ग में निर्णय दिनांक 8.1.88 लागू किया गया
16. 20.3.2002 " लिपिकीय " " " " " "
17. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 की धारा -41-च के अनुसार संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की पदावधि, वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासन के अनुमोदन से ही व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है।
18. संस्थान के शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 03.1.97 से एम्स नई दिल्ली के समकक्ष वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई।
19.

20.

शासी निकाय के निर्णय दिनांक 8.1.88 के अनुसार अनुमोदित वेतनमान / रा/सं के वेतनमान

क्रम सं.	पदनाम	संस्थान द्वारा अनुमोदित वेतनमान	रा/सं में लागू वेतनमान		(B.G. [illegible]) पदनाम
1.	सहा. ग्रेड -I	- 625 – 1360	625 - 1360	–	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I
2.	सहा. ग्रेड -II	- 515 – 860	515 – 860		वरिष्ठ सहायक
3.	सहा. ग्रेड -III	- 430 – 685	430 - 685 354 - 550		वरि. लिपिक कनिष्ठ लिपिक
4.	लेखाकार/प्रधान रोकड़िया	- 570 – 1100	570 - 1100		लेखाकार
5.	सहा. लेखाकार/रोकड़िया	- 515 – 860	515 - 860		सहा. लेखाकार
6.	स्टेनोग्राफर	570 – 1100	570 - 1100 (अधिकारियों के साथ सम्बद्धता के आधार पर)		स्टेनोग्राफर

प्रकरण में (कार्यवृत्त) हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता है:-

(1) संस्थान का आदेश दिनांक 11.10.10 की पठनीय प्रति।

(2) रिट याचिका 65555 (S/S)-2009 मुकेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.10.09 की प्रति। रिट याचिका की प्रति।

(3) शासनादेश दिनांक 05.3.91 की प्रति

(4) शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08.1.1988 तथा निर्णय दिनांक 03.1.97 की प्रति।

(5) शासनादेश दिनांक 13.2.02 की प्रति

(6) लिपिकीय संवर्ग में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों के वेतन का तुलनात्मक चार्ट। जिसमें वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम हो रहा है।

(7) संस्थान का अधिनियम-1983 (यथासंशोधित)

(8) रिट याचिका सं. 639/99, 6545/07; 3948/14 की अद्यतन स्थिति।

कृपया उपर्युक्त अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

[signature]
22.05.17

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग
उ० प्र० शासन।

आत्मना सर्गो जितः

टीपें एवं आज्ञायें
Notes & Orders

कृपया उपरोक्त टिप्पणी का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में वॉछित अभिलेख/सूचना निम्नवत् हैं:-

1. संस्थान के आदेश दिनांक 11-10-2010 की पठनीय प्रति(पताका-ए)।
2. रिट याचिका 6555(एसएस)/2009 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2009 की छाया प्रति एवं टंकित प्रति (पताका-बी)।
3. शासनादेश दिनांक 05-03-2091 की छाया प्रति (पताका-सी)।
4. वित्त समिति दिनांक 16-09-87 का कार्यवृत्त एवं उस पर शासी निकाय दिनांक 8-1-88 के अनुमोदन की छाया प्रति एवं शासी निकाय निर्णय दिनांक 03-01-97 की छाया प्रति (पताका-डी)।
5. शासनादेश दिनांक 13-02-2002 की छाया प्रति (पताका-ई)।
6. लिपिकीय संवर्ग में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों के तुलनात्मक चार्ट, जिसमें वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम हो रहा हो(पताका-एफ)।
7. संस्थान अधिनियम 1983 की छाया प्रति एवं अधिनियम संशोधन 16-02-2010 की छाया प्रति (पताका-जी)।
8. रिट याचिका संख्या-639/99, 6545/2007 व 3948/2014 की अद्यतन स्थिति (पताका-एच)।

(अरिन्दम भट्टाचार्या)
अपर निदेशक
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

आत्मना सर्गो जितः

टीपें एवं आज्ञायें

Notes & Orders

संस्थान के कार्यालय आदेश दिनांक 09 मार्च, 2016 द्वारा संस्थान के लिपिकीय, सचिवीय एवं लेखा संवर्ग में शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 को लागू करने से उत्पन्न हुई विसंगति के सम्बन्ध में विचार करने के लिये प्रोफेसर यू0के0 मिश्रा, विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी जिसमें वित्त (वेतन आयोग) विभाग का कार्य देखने वाले वरिष्ठ अधिकारी को विशेष आमंत्री के रूप में नामित किया गया और इसी के संदर्भ में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।

2. दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्रकरण पर विचार करने के लिये समिति की बैठक हुई जिसमें संस्थान के वित्त अधिकारी ने समिति के समक्ष प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 को संस्थान के सम्बन्धित कर्मचारियों पर लागू करने का मामला विगत 22 वर्षों से लम्बित चल रहा है और इस अवधि में संस्थान तथा शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर कई समितियॉ/बैठकें आयोजित की गयी जिसमें संदर्भगत निर्णय लागू किये जाने/लागू न किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ प्राप्त हुई। अन्ततः रिट याचिका संख्या–6555(एस0एस0)/2009 मुकेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में शासन के मुख्य सचिव महोदय को इस प्रकरण के नियमानुसार निस्तारण के लिये अधिकृत किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्यालय आदेश दिनांक 15 जनवर, 2010 द्वारा विस्तृत आदेश जारी करते हुए शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 को शासन का कोई अनुमोदन उपलब्ध न होने के कारण कियान्वित किये जाने के योग्य नहीं पाया तथा दिनांक 08 जनवरी, 1988 के निर्णय के कियान्वयन के सम्बन्ध में संस्थान स्तर से जारी किये गये आदेश दिनांक 02 जुलाई, 1994 (लेखा संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में) तथा दिनांक 20 मार्च, 2002 (लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में) को निरस्त किये जाने योग्य पाया, साथ ही संदर्भगत आदेश में कतिपय सुझाव भी दिये गये।

3. चूँकि विचाराधीन प्रकरण काफी लम्बे समय से चल रहा है और इसके पक्ष एवं विपक्ष में कई समितियों की संस्तुतियॉ हो चुकी हैं अतः प्रकरण का गहन अध्ययन करने के दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्थान से अन्य कई सुसंगत अभिलेख अतिरिक्त रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और संस्थान द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर उनका विधिवत् गहन अध्ययन किया गया। स्थिति निम्नवत् है :––

(1) शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 में संस्थान के लिपिक, लेखा एवं सचिवीय सेवा संवर्ग के पदों के पदनाम एवं वेतनमान पुनर्निर्धारित करने का मानक राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में उपलब्ध पदनाम एवं वेतनमान के समतुल्य रखे जाने का था और इसके लिये महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय को आधार लिया गया था। परन्तु निर्णय में संस्थान के कई पदों के पदनाम एवं वेतनमान

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय से भिन्न संस्तुत कर दिये गये जो कि नीचे अंकित तालिका से स्पष्ट हो जायेगें :--

क0 सं0	**संस्थान में उपलब्ध पदों के दिनांक 8-1-1988 से पूर्व निर्धारित पदनाम एवं वेतनमान**	**शासी निकाय के निर्णय दिनांक 8-1-1988 में संस्तुत पदनाम/ वेतनमान**	**शासी निकाय के निर्णय दिनांक 8-1-1988 में पदों की अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया**	**महानिदेशक कार्यालय में समकक्ष उपलब्ध पद/ वेतनमान**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड-1 रू0 670-1100/ 625-1360	आफिस असिस्टेन्ट ग्रेड-1 रू0 625-1360	सीनियर असिस्टेन्ट के पद पर 05 वर्ष की सेवा सहित कुल 10 वर्ष की सेवा वाले सीनियर असिस्टेन्ट से पदोन्नति द्वारा।	आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड-1 रू0 625-1360
2	आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड-2 रू0 570- 1100	-तदैव-	-तदैव-	आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड-2 रू0 570-1100
3	सीनियर असिस्टेन्ट/ यू0डी0ए0 रू0 470-735	आफिस असिस्टेन्ट ग्रेड-2 (रिसेप्सनिष्ट तथा समान कार्य उत्तरदायित्वों वाले पद सम्मिलित) रू0 515-860	कम से कम 03 वर्ष की सेवा वाले सीनियर क्लर्क से पदोन्नति द्वारा।	वरिष्ठ सहायक विभागाध्यक्ष कार्यालय में रू0 515-860 अन्य कार्यालयों में रू0 470-735
4	सीनियर क्लर्क/ एल0डी0ए0/ रिकार्ड कीपर/ पर्चेज असिस्टेन्ट/ स्टोरकीपर रू0 400-615	आफिस असिस्टेन्ट ग्रेड-3 (रिकार्ड कीपर/ पर्चेज असिस्टेन्ट/ स्टोरकीपर आदि पद सम्मिलित) रू0 430-685	सीधी भर्ती द्वारा- अर्हता- स्नातक के साथ टाइपिस्ट के लिये अपेक्षित टंकण गति।	सीनियर क्लर्क रू0 430-685
5	टाइपिस्ट/ एल0डी0ए0/ असिस्टेन्ट रिकार्ड कीपर रू0 354-550	-तदैव-	-तदैव-	टाइपिस्ट/ जूनियर क्लर्क रू0 354-550
6	एकाउन्टेन्ट रू0 570-1100	एकाउन्टेन्ट/हेड कैशियर रू0 570-1100	एम0काम0/डी0टी0/ बी0काम0(एकाउन्टेन्सी के साथ) के साथ 10 वर्ष का अनुभव।	एकाउन्टेन्ट रू0 570-1100

7	एकाउन्ट्स क्लर्क / एकाउन्ट्स क्लर्क कम कैशियर / कैशियर रू0 400–615	असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट / कैशियर रू0 515–860	बी0काम0(एकाउन्टेन्सी के साथ) / कामर्स के साथ इण्टरमीडिएट एवं 05 वर्ष का अनुभव।	एकाउन्ट्स क्लर्क रू0 430–685

उपर्युक्त तालिका के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि :––

(i) एस0जी0पी0जी0आई0 में आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड–2 वेतनमान रू0 570–1100 के लिये आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड–1 वेतनमान रू0 625–1360 की संस्तुति की गयी जबकि विभागाध्यक्ष कार्यालय में आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट ग्रेड–2 पदनाम से रू0 570–1100 में ही था।

(ii) एस0जी0पी0जी0आई0 में वेतनमान रू0 354–550 वाले टाइपिस्ट / समकक्ष पदों के लिये आफिस असिस्टेन्ट ग्रेड–3 पदनाम से वेतनमान रू0 430–685 की संस्तुति की गयी जबकि विभागाध्यक्ष कार्यालय में टाइपिस्ट / कनिष्ठ लिपिक पदनाम से रू0 354–550 में ही पद थे।

(iii) एस0जी0पी0जी0आई0 में वेतनमान रू0 400–615 वाले एकाउन्ट्स क्लर्क / एकाउन्ट्स क्लर्क कम कैशियर / कैशियर के लिये सहायक लेखाकार पदनाम से वेतनमान रू0 515– 860 की संस्तुति की गयी जबकि विभागाध्यक्ष कार्यालय में एकाउन्ट्स क्लर्क के पद वेतनमान रू0 430–685 में थे तथा सहायक लेखाकार के पद विभागाध्यक्ष कार्यालय में रू0 515–860 में एवं अन्य कार्यालयों में वेतनमान रू0 470–735 में थे।

इस प्रकार यद्यपि शासी निकाय द्वारा अपने निर्णय में संस्थान के पदों के लिये विभागाध्यक्ष कार्यालय (विशेष रूप से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के समकक्ष पदों के अनुरूप वेतनमान एवं वेतनमान पुनर्निर्धारित किये जाने का मानक रखा गया था तथापि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शासी निकाय द्वारा स्वयं रखे गये मानक का अनुपालन न कर पदनाम एवं वेतनमान बिना किसी आधार के दे दिये गये जो कि विभागाध्यक्ष कार्यालय में समकक्ष पदों के वेतनमान से अधिक होने के कारण संस्थान के कर्मचारियों द्वारा इन वेतनमानों को लागू किये जाने का दबाव बनाया जा रहा है।

(2) शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 1991 द्वारा संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 1986 से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य करा दिये गये। वेतनमानों की यह समतुल्यता संस्थान स्तर पर गठित रन्धर कमेटी की संस्तुतियों पर आधारित है और रन्धर कमेटी ने अपनी संस्तुतियॉ राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये गठित समता समिति (1989) की

संस्तुतियों के आधार पर दी है। इस प्रकार शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 1991 द्वारा संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 1986 (शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 से पूर्व की तिथि) से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समतुल्य वेतनमान सम्यक् विचारोपरान्त अनुमन्य कराये गये हैं।

(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 के निर्णयों को लागू करने में आ रही विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2008 में विचारोपरान्त दी गयी संस्तुतियों के अनुसार विवरण निम्नवत् है :––

(i) लेखा संवर्ग में कोई विसंगति नहीं है, अतः इसे यथावत् लागू माना जाय। परन्तु यह देख लिया जाय कि लेखा संवर्ग में पद, पदनाम, वेतनमान व अन्य सुविधाएं तथा नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया एम्स, नई दिल्ली के समतुल्य ही रहे।

(ii) सचिवीय संवर्ग में भी कोई विसंगति नहीं है, अतः इसे यथावत् लागू माना जाय। परन्तु यह देख लिया जाय कि सचिवीय संवर्ग में पद, पदनाम, वेतनमान व अन्य सुविधाएं तथा नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया एम्स, नई दिल्ली के समतुल्य ही रहे।

(iii) लिपिकीय संवर्ग में शासी निकाय का निर्णय वर्ष 2003 में लागू होने के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति के समाधान के लिये निम्न संस्तुतियॉ की गयी :––

(क) वरिष्ठ कार्मिकों का वेतन कनिष्ठ से कम होने की स्थिति में निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 अप्रैल, 2003 से नियमानुसार संरक्षित कर दिया जाय।

(ख) जिन कार्मिकों को 10 वर्ष के स्थान पर त्रुटिवश 08 वर्ष की सेवा पर कार्यालय सहायक ग्रेड–1 वेतनमान रू0 1640–2900 प्रदान कर दिया गया है उनके सम्बन्ध में उक्त त्रुटि का सुधार कर लिया जाय।

(ग) कनिष्ठ टंकक पदधारकों को स्नातक की अर्हता के आधार पर अवर वर्ग सहायक बनाये जाने की स्थिति में वरिष्ठ टंकक पदधारक जो स्नातक की अर्हता नहीं रखते हैं उनका भी वेतन नियमानुसार संरक्षित कर दिया जाय।

यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त संस्तुतियॉ स्वयं में विरोधाभासी है, क्योंकि शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 में जो पदनाम एवं वेतनमान संस्तुत किये गये है वे राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष कार्यालय के हैं और दिनांक 01 जनवरी, 1986 के पूर्व के हैं।

जबकि एम्स नई दिल्ली के वेतनमान इससे भिन्न हैं, दोनों वेतनमान एक साथ कैसे लागू किया जा सकते हैं।

निष्कर्ष/अभिमत —

उपर्युक्त तथ्यों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 को संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू करने की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 1991 द्वारा संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 1986 से एम्स नई दिल्ली के समतुल्य वेतनमान प्रदान किये जा चुके हैं और एम्स नई दिल्ली के अनुसार ही संस्थान के पदों की प्रथम संरचना दिनांक 03 जनवरी, 1997 तथा द्वितीय संरचना दिनांक 27 नवम्बर, 2001 में निर्धारित की जा चुकी है। ऐसी दशा में शासी निकाय का निर्णय दिनांक 08 जनवरी, 1988 जो स्वयं निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है, को लागू किया जाना सही नहीं होगा।

कृपया इसे मेरा मत समझा जाये। अन्यथा स्थिति में समिति की पुनः एक बैठक आयोजित कर ली जाय जिसमें उपरोक्त सुझाये गये बिन्दुओं पर भी विचार हो सके।

अपर निदेशक

06.6.2017
(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग
उ० प्र० शासन।